भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1487
दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए

आवश्यक खनिजों का संरक्षण

1487. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
देश में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों के संरक्षण हेतु शुरू किए गए सुधारों का ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

भारत सरकार ने उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों का उद्देश्य ओडिशा सहित पूरे देश में इन खनिज संसाधनों की उपलब्धता और एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को 2023 में, केंद्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार देने के लिए संशोधित किया गया है। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के 14 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है जिनमें से 03 ब्लॉक ओडिशा में हैं और महत्वपूर्ण खनिजों के 21 ब्लॉकों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। महत्वपूर्ण एवं गभीरस्थ खनिजों के गवेषण को बढ़ावा देने के लिए, 29 महत्वपूर्ण एवं गभीरस्थ खनिजों के लिए गवेषण लाइसेंस नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है जो लाइसेंसधारी को इन खनिजों के लिए टोही एवं पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने 22 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है।

*****